

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा अनुगम-11

विषय- निजी संस्थान-गजिगन्नाथ जी एजूकेशनल इस्टीट्यूट, सीकरी कला, मोदीनगर, गाजियाबाद को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध मे।

लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2015

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान गजिगन्नाथ जी एजूकेशनल इस्टीट्यूट, सीकरी कला, मोदीनगर, गाजियाबाद को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अधीन शैक्षिक सत्र 2014-15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूल एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष मे बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमे राज्य सरकार की पूर्णानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०इ० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अभिनशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणाधियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी घार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत वयनित सकाय सदरस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख स्थायी होगे, जिहे सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेब-साइट राज्य शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उत्तेज्व वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-07.05.2015 के कार्यवृत्त मे की गयी संस्तुति के अधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2014-15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध मे एन०सी०टी०इ० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
मवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।

संख्या- (1) / 15-11-2015, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2 क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारी मंजिल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान।
- 3 सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4 प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5 सचिव/प्रबन्धक, जगन्नाथ जी एजूकेशनल इस्टीट्यूट, सीकरी कला, मोदीनगर, गाजियाबाद।
- 6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

२४/८/१५

(कामता प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।